टी0–01 स्था0 (06) अनु0–09 / 2025.....649...... /

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

प्रेषक,

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–25 / 02 / 2025

विषयः– बिहार तकनीकी सेवा अयोग, पटना द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या–38 / 2023 से 52 / 2023 के अंतर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों / कार्यालयों में व्यवसाय अनुदेशक (डिग्री / डिप्लोमा) के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों के साथ व्यवसाय अनुदेशक (ITI उत्तीर्ण) हेतु पूर्व में आयोजित दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का दिनांक–10.03.2025 से 13.03.2025 एवं दिनांक–17.03.205 से 20.03.2023 को दशरथ मांझी श्रम एव नियोजन अध्ययन संस्थान, बिहार वेटेनरी कॉलेज के नजदीक, पटना में दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार तकनीकी सेवा अयोग, पटना द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या–38 / 2023 से 52 / 2023 के अंतर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों / कार्यालयों में व्यवसाय अनुदेशक (डिग्री / डिप्लोमा) के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों के साथ व्यवसाय अनुदेशक (ITI उत्तीर्ण) हेतु पूर्व में आयोजित दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का दिनांक–10.03.2025 से 13.03.2025 एवं दिनांक–17.03.205 से 20.03.2023 को दशरथ मांझी श्रम एव नियोजन अध्ययन संस्थान, बिहार वेटेनरी कॉलेज के नजदीक, पटना में दस्तावेज सत्यापन कराया जाना है।

अतः इस आशय संबंधित प्रेस–विज्ञप्ति तथा सी0डी0 पत्र के संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे राज्य के प्रमुख हिन्दी / अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करने की कृपा की जाय।
अनुलग्नक–प्रेस विज्ञप्ति एवं सी0डी0 एक प्रति।

विश्वासभाजन

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी0–01 स्था0 (06) अनु0–09 / 2025.....649...... / पटना, दिनांक–25 / 02 / 2025
प्रतिलिपि–श्री धनश्याम रविदास, नोडल पदाधिकारी / आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अप–लोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार तकनीकी सेवा अयोग, पटना द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या–38/2023 से 52/2023 के अंतर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/कार्यालयों में व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों तथा विज्ञापन संख्या–07/2023 से 36/2023 के अंतर्गत यवसाय अनुदेशक (ITI उत्तीर्ण) के पद पर नियुक्ति हेतु पूर्व में आयोजित दस्तावेज सत्यापन के अनुपस्थित अभ्यर्थियों का शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों/बायोमेट्रिक जाँच/सत्यापन (Certificate verification) हेतु दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, वेटनरी कॉलेज के निकट, पटना में एतदर्थ गठित समिति के समक्ष निम्न प्रकार से तिथिवार एवं विज्ञापन व्यवसायवार दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा:–

दिनांक	विज्ञापन सं एवं ग्रुप	व्यवसाय का नाम	अनुशंसित अभ्यर्थी की संख्या	योग
दिनांक–10.03.225	38/2023 (ग्रुप–01)	फिटर	154	173
		रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग टेक्निशियन	13	
		मशीनिष्ट ग्राईन्डर	01	
		ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल	05	
दिनांक–11.03.225	38/2023 (ग्रुप–01)	टर्नर	30	151
	39/2023 (ग्रुप–02)	मैकेनिक ट्रैक्टर	07	
	40/2023 (ग्रुप–03)	मैकेनिक मोटर व्हीकल	10	
		मैकेनिक डीजल	85	
		मैकेनिक ऑटोबॉडी पेन्टिंग	05	
		मैकेनिक ऑटोबॉडी रिपेयर	02	
	43/2023 (ग्रुप–06)	फाउन्ड्रीमैन (मोल्डर)	12	
दिनांक–12.03.225	41/2023 (ग्रुप–04)	वेल्डर	97	167
	42/2023 (ग्रुप–05)	प्लम्बर	38	
	44/2023 (ग्रुप–07)	टेक्निशियन मेकाट्रोनिक्स	02	
	45/2023 (ग्रुप–08)	ऐडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग टेक्निशियन–3डी प्रिंटिंग	04	
	48/2023 (ग्रुप–11)	इन्टरनेट ऑफ थिंग्स टेक्निशियन स्मार्ट एग्रीकल्चर	05	
		इन्टरनेट ऑफ थिंग्स टेक्निशियन स्मार्ट सिटी	04	
	49/2023 (ग्रुप–12)	ड्राफ्टमैन सिविल	13	
	51/2023 (ग्रुप–14)	सर्वेयर	04	
दिनांक–13.03.225	46/2023 (ग्रुप–09)	इलेक्ट्रीशियन	175	175
दिनांक–17.03.225	46/2023 (ग्रुप–09)	वायरमैन	19	137
		इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रिब्यूशन	05	
		सोलर टेक्निशियन (इलेक्ट्रिकल)	02	
	50/2023 (ग्रुप–13)	इन्फौरमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम	111	
दिनांक–18.03.225	47/2023 (ग्रुप–10)	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकैनिक	130	152
		मैकैनिक कन्ज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स एपलियान्सेज	22	
दिनांक–19.03.2025	52/2023 (ग्रुप–15)	वर्कशॉप कैलकुलेशन एण्ड साईंस	161	161
दिनांक–20.03.2025	38/2023 (ग्रुप–01)	मशीनिष्ट	29	125
	52/2023 (ग्रुप–15)	इंजीनियरिंग ड्रॉईंग	96	
	विज्ञापन संख्या–07/2023 से 36/2023 के अंतर्गत व्यवसाय अनुदेशक (ITI उत्तीर्ण) के पद पर नियुक्ति हेतु पूर्व में आयोजित दस्तावेज सत्यापन मे अनुपस्थित अभ्यर्थियों			

2. प्रमाण–पत्र सत्यापन के लिए सभी अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी दो स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) छायाप्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लायेंगे।

(i) मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्र।

(ii) राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र।

(iii) अनुभव एवं प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता प्रमाण–पत्र।

(iv) अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।

(v) यदि अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी हों तो नियोक्ता (Employer) से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (No Objection Certificate) ।

(vi) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षित कोटि के अनु0जाति/अनु0 जनजाति अभ्यर्थियों के लिए)।

(vii) बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी/अन्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु)।

(viii) बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा निर्गत प्रवेश–पत्र (Admit Card) ।

(ix) सक्षम पदाधिकारी सेवा आयोग, पटना द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण–पत्र।

(x) पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन विहित प्रपत्र (दो प्रतियों में) अभ्यर्थी अपने साथ लायेंगे। उक्त विहित प्रपत्र श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट https.//state.bihar.gov.in/labour पर उपलब्ध है।

(xi) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण–पत्र।

(xii) अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ–पत्र की सभी प्रमाण–पत्र/अभिलेख सही है तथा उनके विरूद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई मामला दर्ज/विचाराधीन नहीं है एवं उनका आचारण प्रतिकूल नहीं है। शपथ पत्र का विहित पपत्र श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट https.//state.bihar.gov.in/labour पर उपलब्ध है।

(xiii) पासपोर्ट साईज का हाल का 4 (चार) रंगीन फोटो।

(xiv) कोई फोटोयुक्त दस्तावेज जो अभ्यर्थी के पहचान को प्रमाणित करें, यथा–Aadhar Card, Driving License, Passport/Ration Card etc.

(3) प्रमाण–पत्रों की जाँच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

(4) यदि कोई अभ्यर्थी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्रों के साथ जाँच हेतु उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अभ्यर्थियों के संबंध में विधिसम्मत निर्णय लिया जायेगा।

ह0/-

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

Go To Index

पत्रांक 3/एम–27/2006 का०–1859

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

रविकान्त,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना–15, दिनांक 08. 07. 06

विषयः– विभिन्न सेवाओं, संवर्गों एवं पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त (character and antecedents) का सत्यापन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न सेवाओं, संवर्गों एवं पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के प्रसंग में प्रतिवेदन समय पर प्राप्त नहीं हो पाता है। कतिपय स्मारपत्रों के बाद ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त हो पाता है जिसके कारण नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न करने में विलम्ब हो जाया करता है। जहाँ रिक्त पद को शीघ्र भरने की अत्यन्त आवश्यकता होती है वहाँ ऐसी परिस्थिति में सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में तदर्थ नियुक्ति करनी पड़ती है और प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ऐसी नियुक्ति का नियमितीकरण करना पड़ता है।

2. राज्य सरकार ने चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन का प्रतिवेदन ससमय प्राप्त नहीं होने की स्थिति को गंभीरता से लिया है और एतदर्थ समय–सीमा तथा जवाबदेही के निर्धारण की आवश्यकता समझी गयी है। अतः इस संबंध में निर्गत पूर्व के परिपत्रों/अनुदेशों को अवक्रमित करते हुए सम्यकरूपेण विचारोपरान्त, राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है–

(1) संबंधित आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने पर 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर संबंधित विभाग उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए सक्षम पदाधिकारी को अनुरोध पत्र, उम्मीदवार के पूर्ण विवरण के साथ भेजेगा।

(2) ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के बाद संबंधित सक्षम पदाधिकारी अगले एक माह के अन्दर वांछित प्रतिवेदन संबंधित विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(3) आरक्षी महानिदेशक द्वारा सभी आरक्षी अधीक्षकों से प्रतिमाह सत्यापन प्रतिवेदन की प्राप्ति एवं उनके निष्पादन की संख्या के संबंध में मासिक प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा एवं उसकी समीक्षा की जायेगी।

(4) सभी प्रमंडलीय आयुक्त प्रमंडलीय स्तर पर जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षकों की प्रमंडलीय बैठक में

सत्यापन प्रतिवेदनों के निष्पादन की समीक्षा करेंगे।

(5) उक्त समय–सीमा का अनुपालन नहीं हो सकने की स्थिति में जिम्मेवारी का निर्धारण कर संबंधित दोषी कर्मचारी/पदाधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। संबंधित विभाग में ऐसी कार्रवाई विभागीय सचिव द्वारा की जायेगी। आरक्षी महानिदेशक के अधीनस्थ सक्षम पदाधिकारी के अधीन समय–सीमा का अनुपालन नहीं हो सकने की स्थिति मे जिम्मेवारी का निर्धारण और समुचित कार्रवाई आरक्षी महानिदेशक को प्राप्त होनेवाले मासिक प्रतिवेदन की समीक्षा के आधार पर की जायेगी। आरक्षी महानिदेशक के कार्यालय द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ–साथ वांछित चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन भी अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) संबंधित विभाग द्वारा सभी नयी नियुक्तियों के संदर्भ में सभी उम्मीदवारों से उनके योगदान की स्वीकृति के पूर्व संलग्न सत्यापन प्रपत्र में, उनके स्वयं का बायोडाटा (पूर्ववृत्त आचरण के संबंध में सूचना सहित) अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

3. कृपया उपर्युक्त अनुदेशों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाय और उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन,

रविकान्त

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/एम–27/2006 का०–1859 पटना–15, दिनांक 08. 07. 06

प्रतिलिपि– महानिदेशक–सह–आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविकान्त

सरकार के सचिव

सत्यापन प्रपत्र

पासपोर्ट आकार की एक
अद्यतन हस्ताक्षरित फोटो प्रति

यहाँ चिपकाएँ

चेतावनी

1. इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना अथवा वास्तविक तथ्य छुपाये जाने को अयोग्यता माना जायेगा तथा तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।

2. यदि इस प्रपत्र को पूरा करने व प्रस्तुत किए जाने के बाद अभ्यर्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थदंड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपण हो, बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोष–मुक्त आदि किया गया हो तो इस आशय की सूचना तत्काल उस अधिकारी को भेजी जाए, जिसे यह सत्यापन प्रपत्र भेजा गया है। ऐसा न किये जाने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा है।

3. यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वाभाविक तथ्यों को छुपाया है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

---

1. उपनामों सहित, यदि कोई हो, पूरा नाम (यदि आपने कभी अपने नाम अथवा कुलनाम में अंशतः कुछ जोड़ा अथवा निकाला हो तो उसे विनिर्दिष्ट करें) — कुलनाम / नाम

---

2. वर्तमान पूरा पता अर्थात गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं०, गली / स्ट्रीट / सड़क तथा शहर

---

3. (क) घर का पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं०, गली / स्ट्रीट / सड़क व शहर और जिला मुख्यालय का नाम

   (ख) यदि मूलतः पाकिस्तान / बंगलादेश (पूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का निवासी है तो उस देश में रहने का पता तथा वहाँ से भारत आने की तारीख का उल्लेख करें।

4. गत पाँच वर्षों के दौरान उन स्थानों के ब्योरे दें (आवास–अवधि सहित) जहाँ आपने एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया हो। 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में एक वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उन सभी स्थानों के भी ब्योरे प्रस्तुत करें।

से	तक	आवास का पूरा पता (अर्थात गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं० गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर)	पूर्व कालम में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम
1	2	3	4

5.

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और /अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	व्यवसाय (यदि सेवारत हैं तो पदनाम व कार्यालय का पता लिखें)	पत्राचार का वर्तमान पता (दिवंगत होने की स्थिति में अंतिम पता)	घर का स्थाई पता
1	2	3	4	5	6
(क) पिता (उपनामों सहित यदि कोई हो)					
(ख) माँ					
(ग) पत्नी/पति					
(घ) भाई					
(ङ) बहन/बहनें।					

6. उस पुत्र/ पुत्रों और पुत्री/पुत्रियों के बारे में सूचना दें जो विदेश में रह रहे हैं:–

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और /अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	जिस देश में पढ़ रहे/रह रहे हैं, उसका पूरा पता	पूर्व कालम में उल्लिखित देश में कब से पढ़ रहे/रह रहे हैं
1	2	3	4	5

7. राष्ट्रीयता

(क) जन्मतिथि (क)

(ख) वर्तमान आयु (ख)

(ग) मैट्रीकुलेशन के प्रमाण–पत्र में दी गई आयु (ग)

8. (क) जिले व राज्य का नाम सहित जन्म स्थान (क)

(ख) आप किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं। (ख)

(ग) आपके पिता मूलतः किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं। (ग)

(क) आपका धर्म

(ख) क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति से सम्बद्ध हैं। जिससे संबद्ध हों, उसका नाम लिखें।

10. 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूलों व कालेजों में शिक्षा प्राप्त की है, तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखें।

पूरे पते सहित स्कूलों / कॉलेजों के नाम	स्कूल / कॉलेज में प्रवेश की तारीख	स्कूल / कॉलेज छोड़ने की तारीख	कौन सी परीक्षा पास की

11. (क) क्या आप केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्द्ध सरकारी निकाय, अथवा स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी फर्म अथवा संस्थान में सेवारत हैं अथवा सेवारत रह चुके हैं। यदि हाँ तो सेवा की तारीखों सहित पूर्ण अद्यतन ब्यौरा दें।

अवधि		पदनाम, वेतन तथा सेवा की प्रकृति	नियोक्ता का पूरा नाम व पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण
से	तक			

11. (ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार / किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार / स्वायत्त निकाय / विश्वविद्यालय / स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन थी।

(ग) क्या आपने केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियमावली, 1965 अथवा इसके अनुरूप नियमावली के तहत एक माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी थी? क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है? क्या नोटिस दिए जाने अथवा सेवा समाप्त किए जाने से पूर्व बाद की तारीख मेंआपसे स्पष्टीकरण माँगा गया।

12. (i) (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है ? हाँ / नहीं

(ख) क्या कभी आप पर मुकदमा चला है ? हाँ / नहीं

(ग) क्या कभी आपको हिरासत में रखा गया है ? हाँ / नहीं

(घ) क्या कभी आपको नजरबन्द किया गया है ? हाँ / नहीं

(ड) क्या किसी विधि न्यायालय ने आप पर कभी अर्थदंड डाला है ? हाँ / नहीं

(च) क्या कभी किसी विधि–न्यायालय ने किसी अपराध के लिए आपको दोषी सिद्ध किया है ? हाँ / नहीं

(छ) क्या कभी किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण / संस्थान ने आपको किसी परीक्षा में बैठने से रोका है अथवा बहिष्कृत किया है ? हाँ / नहीं

(ज) क्या कभी किसी लोक सेवा आयोग / कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी किसी परीक्षा / चयन से आपको बहिष्कृत / अयोग्य घोषित किया है ? हाँ / नहीं

(झ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरने के समय किसी विधि न्यायालय मे आपके विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित है ? हाँ / नहीं

(ञ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरते समय किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण / संस्थान में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है ? हाँ / नहीं

(ट) क्या सरकार के नियंत्रणाधीन अथवा अन्य किसी प्रशिक्षण संस्थान से आपको कार्यमुक्त किया गया / बहिष्कृत किया गया / निकाला गया ? हाँ / नहीं

(ii) यदि यह प्रपत्र भरते समय उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो उसे मुकदमे / गिरफ्तारी / हिरासत / अर्थदंड / दंडादेश / सजा आदि के बारे में और / अथवा किसी न्यायालय / विश्वविद्यालय / शैक्षणिक प्राधिकरण आदि में लंबित मुकदमे की प्रकृति के पूर्ण ब्यौरे दें।

(iii) नोटः– (i) कृपया इस प्रपत्र के 'प्रारम्भ' में लिखी 'चेतावनी' को भी देखें।

(ii) प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उत्तर "हाँ" अथवा "नहीं" जैसा भी मामला हो, काट कर दिया जाय।

13. अपने क्षेत्र के ऐसे दो व्यक्तियों के नाम अथवा हवाले लिखें जो आपको जानते हों।

1.

2.

14. मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता / करती हूँ कि मेरे मात्र एक जीवित पत्नी / पति है।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त सूचना सही तथा पूर्ण है। मैं किन्हीं ऐसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके तहत मैं सरकारी नौकरी के अयोग्य माना / मानी जाऊँ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर..............................

तारीख..............................

स्थान..............................

<u>कार्यालय द्वारा भरा जाएगा</u>

(i) नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी का नाम, पदनाम तथा पूरा पता

(ii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया गया वह पद, जिस पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा रहा है।

In the Court of Sub-Divisional Magistrate/Executive Magistrate

Sri---
S/O.D/O------------------------------ Aged------------------------------ by caste -------------
---------------by Nationality Indian by occupation------------------------resident of village------------------------- Town----------------------- P.O--------------------P.S-------
-----------------District- ---------------do here by solemnly affirm and declare as follows:-

(i) That I am a permanent resident of aforesaid village/Town which falls under P.O------------------------- P.S--------------------------------District--------------------.

(ii) That there is no any adverse remarks against me in any Police Station.

(iii) That there is no criminal case against me in any Police Station or in any of the Honourable Court.

(iv) That all the document i.e caste certificate, residential certificate, educational qualification certificates/marks sheets and others certificate filled by me in connections with the recruitment under Bihar Technical Service Commission are true to the best of my belief and knowledge.

(v) That experience certificate produced by me is true to the best of my belief and knowledge.

If any wrong information arises in connection with my submitted certificates. I will be liable to be punished under Law.

The Statements made above are true to the best of my knowledge, belief & information and I sign this------------------------day--
---at ---------------------------------------.

Deponent Signature

Solemnly affirm and declared before me to be true by the deponent who is

Identified by the Advocate---------------------------------------

Signature of Magistrate---